झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-04

अष्टम्(बजट)सत्र

शुक्रवार, दिनांक-20 जनवरी, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.10 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

i- दिनांक-23.11.2016 को **CNT, SPT ACT** को लेकर सदन में हुए गतिरोध एवं घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति की अनुशंसा के आलोक में चार माननीय सदस्यों सर्वश्री शशिभूषण सामाड़, पौलुस सुरीन, अमित कुमार महतो एवं श्री इरफान अंसारी को सदन की सहमति से दिनांक-19.01.2017 के प्रभाव से निलंबित किये जाने की ओर आसन का ध्यान माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने आकृष्ट किया। उन्होंने आग्रह किया कि भावावेश में उक्त माननीय सदस्यों द्वारा **CNT, SPT ACT** को लेकर यदि जाने-अनजाने में कोई भूल हो गयी हो तो लिये गये फैसले पर पुनर्विचार किया जाय,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने भी दिनांक-23.11.2016 को सदन में घटी घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्मण रेखा पार करना उचित नही है। उन्होंने आसन को सर्वोपरि बताते हुए पुनर्विचार हेतु आग्रह किया,

iii- माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम ने सदन में प्राय: टकराहट होते रहने की बात कही परन्तु, माननीय विधायकों के निलंबन पर पुनर्विचार हेतु आसन से आग्रह किया,

iv- माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने आसन से आग्रह किया कि सदन की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए यदि सम्बन्धित माननीय सदस्य प्रायश्चित करते हुए भूल स्वीकार करें तो आसन द्वारा उन्हें क्षमा किया जाना चाहिए,

v- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने सदन में घटनेवाली अप्रिय घटनाओं को स्वस्थ परम्परा के प्रतिकूल बताया तथा दिनांक-23.11.2016 को आसन पर किये गये प्रहार कों दु:खद बताते हुए लोकतंत्र में मर्यादा के दायरे में विरोध का समर्थन किया। उन्होंने आग्रह किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय विचार-विमर्श कर एक निर्णय लिया जाय तदुपरांत सदन को संसूचित किया जाय क्योंकि हर व्यक्ति को सुधरने का अधिकार है,

vi- माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि माननीय समिति द्वारा सम्बन्धित माननीय सदस्यों को अपनी बातें रखने हेतु तीन बार मौका दिया गया, लेकिन वे अपनी बातें समिति के समक्ष नहीं रख पाये। इनके आचरण से पूरा सदन दु:खी है क्योंकि लक्ष्मण रेखा को लांघना उचित नहीं है, इनका विरोध का तरीका

P.T.O.

अनुचित था। सदन में माननीय राज्यपाल महोदया का भी विरोध सही नहीं था तथापि सम्बन्धित माननीय सदस्य अपनी गलती स्वीकार करें, तो हम तैयार है

2. आसन से नियमनः-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत होने के उपरांत आसन द्वारा नियमन दिया गया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं काँग्रेस विधायक दल के नेता की ओर से माननीय निलंबित सदस्यों के सम्बन्ध में एक आवेदन दिया जाय जिसपर यथा समय, माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, दलीय नेताओं श्री स्टीफन मरांडी, श्री आलमगीर आलम, श्री प्रदीप यादव, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मंत्री, श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी एवं माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

(शोरगुल)

3.प्रश्नकालः-

आज के लिए निर्धारित अल्प सूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

अल्प सूचित प्रश्नों की कुल संख्या-15

(i) उत्तरित मात्र-02 अ०सू०-17 एवं 18, श्री बिरंची नारायण, स०वि०स०।

(ii) अनागत कुल-13 अ०सू०-19 से 31 तक।

(इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य, सर्वश्री चम्पाई सोरेन, जगरनाथ महतो, निरल पुरती, दीपक बिरूवा, चमरा लिण्डा, दशरथ गागराई, रवीन्द्रनाथ महतो, योगेन्द्र प्रसाद एवं श्री जय प्रकाश भाई पटेल सदन की वेल में आकर पूर्व की माँगों को लेकर खड़े हो गये।)

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने नियमापत्ति करते हुए आसन से आग्रह किया कि सदन के अव्यवस्थित रहने पर प्रश्नोत्तर काल होना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, अतएव उन्होंने सदन को व्यवस्थित किये जाने हेतु आसन से आग्रह किया।

आसन द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने के बावजूद भी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य सदन की वेल में ही खड़े रहे, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.51 बजे पूर्वा० से लेकर भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3. वित्तीय कार्यः-

श्री सरयू राय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग''** से सम्बन्धित माँग पेश की गयी।

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांशतः माननीय सदस्य **CNT, SPT ACT** के संशोधन को वापस लिये जाने की माँग को लेकर पुनः सदन की वेल में आकर धरने पर बैठ गये। अतएव अव्यवस्था के कारण तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद प्रारम्भ नहीं हो सका तदुपरांत सदन की कार्यवाही 02.10 बजे अप० से लेकर शनिवार दिनांक-21.01.2017 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 20 जनवरी, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।